

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20, नियम 6-7, जाब्ता दीवानी)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर टिब्बी

प्राचीन अधिकारी :- स्वाति गुप्ता आर.ए.एस
राजस्व वाद संख्या :- 199/2024

1. करनीसिंह पुत्र बख्तावरसिंह जाति राजपूत निवासी सलेमगढ तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
 2. मदनसिंह पुत्र बख्तावरसिंह जाति राजपूत निवासी सलेमगढ तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
 3. गणेशसिंह पुत्र बख्तावरसिंह जाति राजपूत निवासी सलेमगढ तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
- — वादीगण

बनाम

1. प्रमोद सिंह पुत्र बख्तावर सिंह जाति राजपूत निवासी सलेमगढ तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
 2. तहसीलदार (राजस्व) टिब्बी।
- — प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88, 53 आर.टी.ए. घोषणा एवं खाता विभाजन

डिक्री

दिनांक :- 29.07.2024

वादीगण की ओर से श्री महेश कुमार गौड अधिवक्ता की व प्रतिवादी की ओर श्री जीतासिंह की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 29.07.2024 को स्वाति गुप्ता आर.ए.एस. पदेन सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि

(क) वादी संख्या 1 करनी सिंह को प्राप्त आराजी :- चक नम्बर 15 जी.जी.आर. के खाता संख्या 39/41 में पत्थर नम्बर 188/274(5) किला नम्बर 15/1/0.158, 15/2/0.025 गैर मुमकिन रास्ता, पत्थर नम्बर 189/273(3) किला नम्बर 23/0.038, पत्थर नम्बर 189/274(4) किला नम्बर 1/0.164, 2/0.228, 3/0.253, 8/0.253, 9/0.253, 10/0.253, 11/0.253, 12/0.253, 13/0.253 हैक्टर।

(ख) वादी संख्या 2 मदनसिंह को प्राप्त आराजी :- चक नम्बर 15 जी.जी.आर. के पत्थर नम्बर 185/275(11) किला नम्बर 15/0.063, 16/1/0.228, 16/2/0.025 हैक्टर गैर मुमकिन खाला, 17/0.215, पत्थर नम्बर 186/275(12) किला नम्बर 4/0.051, 7/0.253, 8/0.203, 9/0.051, 12/0.253, 13/0.253, पत्थर नम्बर 188/274(5) किला नम्बर 5/1/0.063, 5/2/0.013, 6/1/0.228, 6/2/0.025, 7/0.241, 14/0.253 हैक्टर।

(ग) वादी संख्या 3 गणेश सिंह को प्राप्त आराजी:- चक नम्बर 15 जी.जी.आर. के पत्थर नम्बर 185/275(11) किला नम्बर 18/0.038, 21/0.051, 22/0.202, 23/0.253,

पत्थर नम्बर 185/276(17) किला नम्बर 1/0.253, 2/0.253, 9/0.253, 10/0.253, 11/0.253, 12/0.253 हैक्टर।

आराजी के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाकर खाता तकसीम कर रकमराज अलग से कायम किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

तहसीलदार (राजस्व) टिब्बी को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि समस्त प्रकार से भार मुक्त होने की स्थिति में उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर लगान कायम किया जावे। भूमि की किस्म (यथा नहरी/बाराणी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

खर्चा फरीकैन अपना-अपना वहन करेंगे। आदेशानुसार पर्चा डिक्री जारी की जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय आज दिनांक 29.07.24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



XV
(स्वाति गुप्ता)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर टिब्बी

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
वाद पत्र के लिये स्टाम्प	--	शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प	--
शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प	--	अर्जी के लिये स्टाम्प	--
प्रदर्शों के लिये स्टाम्प	--	प्लीडर की फीस	--
रूपये पर प्लीडर की फीस	--	साक्षियों के लिये निर्वाह भत्ता	--
साक्षियों के लिये निर्वाह भत्ता	--	आदेशिका की तामिल	--
कमिश्नर की फीस	--	कमिश्नर की फीस	--
आदेशिका की तामिल	--	योग	--
योग	--		